Regarding payment of proper compensation to farmers affected by laying roads

डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले (जालना): माननीय सभापति महोदय, मैं शून्य काल के माध्यम से आपके संज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र जालना में, जालना से नांदेड़ तक द्रुतगति मार्ग जा रही है, जिसे समृद्धि महामार्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण करने के लिए किसानों की कृषि भूमि, बाग, कुएं आदि का मूल्यांकन किया जा रहा है। लेकिन यह मूल्यांकन वर्ष 2017-18 के पुराने रेडी रेकोनर की दर से हो रहा है। जबकि इसकी अधिसूचना वर्ष 2021 में निकली है और इस कार्य को वर्ष 2024-25 में अवार्ड किया गया है। इसके कारण किसानों को उनकी संपत्तियों का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। उनको पुराने दर के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है। इसके कारण किसान असंतुष्ट हैं।

इस सदन के माध्यम से, सरकार से मेरा अनुरोध है कि रेडी रेकोनर दर में प्रतिवर्ष 10 टके की बढ़ोतरी करके अनुशंसित दर के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए। मुम्बई-नागपुर समृद्धि महामार्ग की महत्ता को देखते हुए किसानों के घर, कुएं, सिंचाई, पेड़ों, और फलों के बागान के लिए उचित मुआवजा निर्धारित किया जाए। उनको मौजूदा लागत पर मुआवजा मिले और भविष्य में समुचित मूल्यांकन हो सके। इसके साथ-साथ, जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनको सरकारी नौकरी दिये जाने का प्रावधान किया जाए। मैं आपके माध्यम से, सरकार से यह अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।